मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562] भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2008—भाद्र 26, शक 1930

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. 39-1692-08-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) "अध्यापक संवर्ग" के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अधीन तथा नगरपालिका तथा नगर पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) ''अर्हता'' से अभिप्रेत है, अनुसूची--दो में विनिर्दिष्ट अध्यापक संवर्ग की अर्हताएं;

(ङ) ''नगरीय निकाय'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित किया गया कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित की गई कोई नगरपालिका या नगर पंचायत;

(च) ''अध्यापक संवर्ग'' से अभिप्रेत है, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में अध्यापन के लिये नियोजित/संविलयन किया गया व्यक्ति;

(छ) ''शिक्षाकर्मी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ज) ''संविदा शाला शिक्षक'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा नियोजित/नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ठ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची; और

(ड) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—ये नियम, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन समस्त स्कूलों के लिए नियुक्त/संविलयन किए गए प्रत्येक अध्यापक संवर्ग को लागू होंगे.

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण और वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए. सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इस निमित्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय परिवर्तित नहीं की जाएगी.

5. **चयन तथा नियुक्ति का तरीका.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में भर्ती निम्नलिखित तरीके के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:—

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मियों के संविलयन द्वारा;

स्पष्टीकरण.—(एक) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)—1 का संविलयन वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा.

(दो) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)—2 का संविलयन अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा,

(तीन) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रेड)—3 का संविलियन सहायक अध्यापक के पद तथा वेतनमान में किया जाएगा.

(चार) अध्यापक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति का संविलियन दिनांक 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में किया जाएगा, जबकि अध्यापक संवर्ग में उनके वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी के रूप में तीन वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले व्यक्ति को अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगी.

(2) संविदा शाला शिक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्त किया जाएगा:—

(एक) ऐसे संविदा शाला शिक्षक को जिसने तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार करने हेतु गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र पाये जाने पर, अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा.

(दो) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड)—1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड)—2 को अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड)—3 को क्रमशः सहायक अध्यापक के रूप में, अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख एक वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के पश्चात् होगी.

(तीन) अध्यापक संवर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने अनुसूची—दो के कॉलम (3) में विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर ली हो.

(चार) अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए छानबीन समिति के नाम से एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1)	कलक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए) आयुक्त, नगरपालिक निगम (नगरपालिक निगम के लिए)	—	अध्यक्ष
(2)	(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत (2) जिला शिक्षा अधिकारी (नगरपालिक निगम के लिये)	—	सदस्य-सचिव
(3)	जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए)/ कलक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिक निगम के लिए)	—	सदस्य
(4)	अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग से एक अधिकारी	—	सदस्य

(3) नियुक्ति/संविलयन करते समय मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1-2002-आ.प्र.-एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी.

6. **पदोन्नति.**—पदोन्नति पर नियुक्ति अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जाएगी. वेतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए नगरीय निकाय के नियमों के अनुसार किया जाएगा.

7. **अपील.**—इन नियमों के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनियम में यथाउल्लिखित संबंधित अपील प्राधिकारी को अपील करेगा.

8. **अन्य शर्तें**.—(क) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, नगरीय निकाय के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा. अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	अनुशासनात्मक प्राधिकारी (3)	अपीलीय प्राधिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
2	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
3	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर

टिप्पण.--कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा.

(ख) इन नियमों के अधीन नियुक्त या संविलयन किया गया कोई व्यक्ति, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के समान अवकाश का हकदार होगा.

(ग) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति, नगरीय निकाय नियमों द्वारा शासित होगा.

(घ) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों की अधिवार्षिकी की आयु 62 वर्ष होगी.

(ङ) इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए वही शर्तें होंगी जो राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित की जाएं.

(च) इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अध्यापक संवर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित किये गये अनुसार देय होंगे.

9. **राज्य सरकार की विहित करने की शक्ति**.—इन नियमों के अधीन विहित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश जारी करके किया जायेगा.

10. **निर्वचन**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा.

11. **निरसन और व्यावृत्ति**.—मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश है या की गई कार्रवाई है.

अनुसूची—एक

[नियम-2(ख) तथा नियम-4]

अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमांक	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	5000—175—8500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
2	अध्यापक	4000—125—6500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
3	सहायक अध्यापक	3000—100—5000	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार

अनुसूची—दो

[नियम-2(घ)]

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी अर्हताएं

अनुक्रमांक	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण	शैक्षणिक एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा).	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि होगी.
2	अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/ बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि होगी.
3	सहायक अध्यापक	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष एवं बी.टी.सी./डी.एड./ डी.एस.ई.	(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यमा न्यूनतम अर्हता होगी. (2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी. (3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए उ. मा. प्रमाण-पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यताप्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी.

टिप्पण.—1. अध्यापक संवर्ग के पद मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मियों के संविलियन से भरे जाएंगे.

2. मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के तीन वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किए जाएंगे.

3. अध्यापक संवर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी.

अनुसूची—तीन

(नियम-5 एवं 6 देखिए)

अध्यापक संवर्ग के पदों के ब्यौरे (विवरण)

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता (3)
1	वरिष्ठ अध्यापक	50 प्रतिशत
2	अध्यापक	50 प्रतिशत

टिप्पण.—अनुक्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाएंगे. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती संवर्ग के अधीन उपलब्ध पद की कुल संख्या में से:—

1. 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक के श्रेणी (ग्रेड)-1 तथा श्रेणी (ग्रेड)-2 की सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाएंगे.
2. शेष 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे.

अनुसूची—चार

[नियम-2(घ) तथा नियम 6]

अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति

अनु-क्रमांक (1)	पदनाम जिससे पदोन्नति की जाना है (2)	पदनाम जिस पर पदोन्नति की जाना है (3)	पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (5)
1	अध्यापक	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव.	1. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—**अध्यक्ष.** 2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग—**सदस्य.** 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—**सदस्य.** 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—**सदस्य.**
2	सहायक अध्यापक	अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण	1. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—**अध्यक्ष.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित पद पर न्यूनतम् सात वर्ष का अनुभव.	2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग—**सदस्य.** 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय —**सदस्य.** 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—**सदस्य.**

टिप्पण.—1. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों के संविलयन के पश्चात् शिक्षाकर्मी के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा की गणना केवल पदोन्नति/क्रमोन्नति, वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु की जाएगी.

अनुसूची—पांच

अध्यापक संवर्ग के पदों की संख्या का विवरण

1. जितनी संख्या में, शिक्षाकर्मियों का संविलयन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर किया जाएगा, उतनी ही संख्या में पद अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे.

2. जितनी संख्या में, संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर की जाएगी, उतनी ही संख्या में पद अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे एवं उतनी संख्या में संविदा शाला शिक्षक संवर्ग से पद समाप्त किए गए समझे जाएंगे.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. 39-1692-08-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 39-1692-08-अठारह-3, दिनांक 17 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघव चन्द्रा, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th September 2008

No. 39-1692-08-XVIII-3.—In exercise of the Powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby makes the following Rules, namely ;—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of the publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules. unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(b) "Appointing Authority" in relation to "Adhyapak Samvarg" means the Appointing Authority as specified under section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 in case of Municipal Corporation and under section 94 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 in case of Municipality and Nagar Panchayat (Schedule-I);

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Qualification" means the qualifications of Adhyapak Samvarg specified in Schedule-II;

(e) "Nagreeya Nikay" means any Municipal Corporation constituted under section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 or any Municipality or Nagar Panchayat constituted under section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

(f) "Adhyapak Samvarg" means the person employed or merged by Nagreeya Nikay for teaching in the Schools under their control;

(g) "Shikshakarmi" means a person appointed for teaching by the Nagreeya Nikay under the Madhya Pradesh Nagar Palika Shikshakarmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1998;

(h) "Samvida Shala Shikshak" means a person employed/appointed by Nagreeya Nikay, as the case may be under the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Samvida Shala Shikshak (Condition of Employment and Contract) Rules, 2005 for teaching in the Schools under their control;

(i) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or groups within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government *vide* Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

'Schedule" means Schedule appended to these rules; and

"State" means the State of Madhya Pradesh.

nd Application.—These rules shall apply to every Adhyapak cadre appointed/merged by Nagreeya Schools under their control.

ation and Scale of Pay.—The classification and scale of pay of the Adhyapak Samverg shall be specified in Schedule-I appended to these rules. The number of posts included in the service shall cept prior approval of the State Government in this behalf.

n and Method of appointment.—The recruitment in Adhyapak Samverg after commencement of be done in accordance with the following method, namely:—

By merger of the Shiksha Karmies appointed under the Madhya Pradesh Municipality Shiksha Karm (Recruitment and Conditions of Service) Rules. 1998;

Explanation:

(i) Shiksha Karmi Grade-1 shall be merged on the post and pay scale of Varishth Adhyapak.

(ii) Shiksha Karmi Grade-2 shall be merged on the post and pay scale of Adhyapak.

(iii) Shiksha Karmi Grade-3 shall be merged on the post and pay scale of Sahayak Adhyapak.

(iv) Every person merged in Adhyapak Samvarg on dated 1-4-2007 while fixing his pay in Adhyapak Samvarg, a person having three year continuous service as a Shiksha Karmi shall be given the benefit of one increment in Adhyapak Samvarg. The date of next increment shall be effective from 1-4-2008.

(2) The Samvida Shala Shikshak shall be appointed on the relevant post of the "Adhyapak Samvarg" under the following conditions:—

(i) In the Adhyapak Samvarg such Samvida Shala Shikshak shall be appointed who have completed the three years contract appointment period and have found eligible as per the norms fixed by the Scrutiny Committee constituted to consider the eligibility for appointment in Adhyapak Samvarg.

(ii) Samvida Shala Shikshak Grade-1 shall be appointed as Varishth Adhyapak, Samvida Shala Shikshak Grade-2 as Adhyapak and Samvida Shala Shikshak Grade-3 as Sahayak Adhyapak respectively on minimum of the pay scale of Adhyapak Samvarg. The date of next increment shall be after completion of one year service.

(iii) In Adhyapak Samvarg such Samvida Shala Shikshak shall be appointed who have acquired the educational and teaching/training qualification as prescribed in column (3) of the schedule-II.

(iv) A committee shall be constituted known as Scrutiny Committee for the appointment of Adhyapak Samvarg which shall consist of the following persons:

1.	Representative of Collector (For Nagarpalika/Nagar Panchyat), Commissioner, Nagar Palik Nigam (for Nagar Palik Nigam).	— Chairman
2.	(1) Chief Municipality Officer, Nagar Palika/ Nagar Panchayat (2) District Education Officer (For Nagar Palik Nigam)	— Member Secretary
3.	District Education Officer/Assistant Commissioner (For Nagar Palika/Nagar Panchayat), Representative of Collector (For Nagar Palika Nigam).	— Member
4.	One Officer from the Schedule Caste/Schedule Tribe category	— Member

(3) At the time of appointment/merger the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Reservation for Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions issued by General Administration Department *vide* its notification No. F-6-1-2002-A.P.-One, dated 19-9-2002 shall be complied with and action shall be taken in pursuance of the orders issued from time to time.

6. **Promotion.**—Appointment on promotion shall be made through Departmental Promotion Committee constituted as specified in Schedule IV. Fixation of the Pay shall be as per rules of Nagreeya Nikay made in this behalf.

7. **Appeal.**—Any person aggrieved by the order passed under these rule shall prefer in appeal to the concerned appellate authority as mentioned in the Act.

8. **Other Conditions.**—(a) A person employed under these rules shall discharge his duties under the administrative and disciplinary control of Nagreeya Nikay. Disciplinary Authority for 'Adhyapak Samvarg' shall be:—

S. No. (1)	Adhyapak Samvarg (2)	Disciplinary Authority (3)	Appellate Authority (4)
1.	Varisth Adhyapak	Appointing Authority/District Education Officer, School Education/Assistant Commissioner, Tribal Welfare Department, as the case may be.	District Collector
2.	Adhyapak	Appointing Authority/District Education Officer, School Education/Assistant Commissioner, Tribal Welfare Department, as the case may be.	District Collector
3.	Sahayak Adhyapak	Appointing Authority/District Education Officer/ Block Education Officer, School Education/ Assistant Commissioner/ Block Education Officer Tribal Welfare Department, as the case may be.	District Collector

Note.—Disciplinary Authority as specified in column (3) shall exercise disciplinary powers as per specified procedure.

(b) A person employed or merged under these rules shall be entitled for leave similar as regular teachers in School Education Department.

(c) A person employed under these rules shall be governed by the Nagreeya Nikay Rules.

(d) The date of superannuation of a person working in the Adhyapak Samvarg shall be 62 years.

(e) The conditions for deputation of a person employed under these rules shall be as may be notified by the State Government in this behalf.

(f) Dearness allowance and other allowance shall be payable to a person employed under these rules as the State Government notify time to time for Adhyapak Samvarg.

9. **Power of State Government to prescribe.**—The power to prescribe provided under these rules shall be exercised by the State Government by issuing executive orders.

10. **Interpretation.**—If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

11. **Repeal and Savings.**—Madhya Pradesh Municipality Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Service) Rule, 1998 is hereby repealed:

Provided that orders made or the any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE—I

[Rule 2(b) and Rule 4]

Classification and Pay Scale of Adhyapak Samvarg

S. No. (1)	Classification of Adhyapak Samvarg (2)	Pay Scales (3)	Appointing Authority (4)
1.	Varisth Adhyapak	5000—175—8500	As per clause (b) of Rule 2
2.	Adhyapak	4000—125—6500	As per clause (b) of Rule 2
3.	Sahayak Adhyapak	3000—100—5000	As per clause (b) of Rule 2

SCHEDULE—II

[Rule 2(d)]

Educational and Training Qualification for Adhyapak Samvarg

S. No. (1)	Classification of Adhyapak Samvarg (2)	Educational & Teaching Training Qualification (3)	Remarks (4)
1.	Varisth Adhyapak	Master's degree in II division in concerned subject or equivalent and B. Ed./B.Ed. special education.	The minimum qualification for Varishth Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Acharya degree in II division in Sanskrit Literature/Grammer etc. from recognized Institution/University.
2.	Adhyapak	Bachelor's degree in second division in concerned subject or equivalent and B. Ed./B.Ed. (Special Education)/ B. T. C./D.Ed./D. S. E.	The minimum qualification for Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Shastri degree in II division in Sanskrit Literature/ Grammer etc. from recognized Institution/ University.
3.	Sahayak Adhyapak	Higher Secondary Certificate Examination or equivalent. And B. T. C./D. Ed./D. S. E.	1. The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Utter Madhyama in Sanskrit Literature/ Grammer etc. from recognized Institution/ Board. 2. The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Music/Tabla Teacher) shall be certificate in Music from recognized Institution. 3. The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Physical Instructor) shall be certificate of Physical Education from any recognized Institution in addition to Higher Secondary Certificate Examination.

Note.—1. The posts of Adhyapak Samvarg shall be filled up by merger of the Shikshakarmies appointed under the Madhya Pradesh, Municipality Shikshakarmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1998.

2. The Samvida Shala Shikshak appointed under the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Samvida Shala Shikshak (Employment and Condition of Contract) Rule, 2005 shall be appointed in the Adhyapak Samvarg after completing the three years Samvida period.

3. No direct recruitment shall be made in the Adhyapak Samvarg.

SCHEDULE—III

(*See* Rule 5 and 6)

Details of the posts of the Adhyapak Samvarg

S. No.	Adhyapak Samvarg	Percentage of post to be filled up by promotion
(1)	(2)	(3)
1.	Varishth Adhyapak	50%
2.	Adhyapak	50%

Note.— The posts mentioned in Sr. No. 1 and 2 shall not be filled up by direct recruitment. After the commencement of these rules the total number of post available under the direct recruitment cadre shall be filled up by:—

(1) The 50% post shall be recruited by direct recruitment of Samvida Shala Shikhak Grade-1 and Grade-2.

(2) Remaining 50% post shall be filled up by the promotion of Varishth Adhyapak and Adhyapak.

SCHEDULE—IV

[Rule 2(d) 6]

Promotion of Adhyapak Samvarg

S. No.	The Designation from which the promotion is to be made	The designation on which the promotion will be made	Qualification and experience for promotion	Members of the departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Adhyapak	Varishth Adhyapak	Master's degree in concerned subject or equivalent and Teaching Training Degree/ Diploma and minimum 7 years experience on the post hold.	1. Appointing Authority as per clause (b) of Rule 2—**Chairman.** 2. District Education Officer or Assistant Commissioner, Tribal/District Organizer Tribal Welfare Department—**Member.** 3. Principal HSS nominated by DEO/ ACTWD—**Member.** 4. One officer from the Schedule Caste or Scheduled Tribe—**Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Sahayak Adhyapak	Adhyapak	Bechlor's degree in concerned subject or equivalent and Teaching Training Degree/ Diploma and minimum 7 years experience on the post hold.	1. Appointing Authority as per clause (b) of Rule 2—**Chairman.** 2. District Education Officer or Assistant Commissioner, Tribal/District Organizer Tribal Welfare Department—**Member.** 3. Principal HSS nominated by DEO/ ACTWD—**Member.** 4. One officer from the Schedule Caste or Scheduled Tribe—**Member.**

Note.—After merging the Shiksha Karmies in Adhyapak Samvarg, the services rendered by them as Shikshakarmi shall be calculated for purpose of promotion/kramonnati/seniority only.

SCHEDULE—V

Details of number of posts of the Adhyapak Samvarg

1. Number of Shiksha Karmi shall be merged on the relevant post of Adhyapak Samvarg such number of post deemed to be created in Adhyapak Samvarg.

2. Number of Samvida Shala Shikshak shall be appointed on the relevant post of Adhyapak Samvarg such number of post deemed to be created in Adhyapak Samvarg and same number of post shall be deemed to be abolished from Samvida Shala Shikshak Cadre.

Bhopal, the 17th September 2008

No. 1692-08-XVIII-3.—In pursuance of the clause (3) of the constitution of India, the english translation of this department's notification No. 39/08, dated 17th September 2008 hereby publishes with the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAGHAV CHANRA, Principal Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.